

**झारखंड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग, राँची**

पत्रांक: 3 पी.एम.सी./प्रशासनिक-37/12-13/.....71...../राँची, दिनांक:.....14.02.19

प्रेषक:

अरुण कुमार सिंह,  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
झारखण्ड,  
पो.-हिन्नु राँची।

2127  
14.02.19

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय : जल संसाधन विभाग के उपक्रम झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) को वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत रु० 6.09 करोड़ (रूपये छः करोड़ नौ लाख) मात्र का अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

**आदेश-स्वीकृत।**

1. जल संसाधन विभाग के उपक्रम झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) को वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत रु० 6.09 करोड़ (रूपये छः करोड़ नौ लाख) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. झारखण्ड राज्य के भौगोलिक टोपोग्राफी के आलोक में उदवह सिंचाई योजना एवं छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के निर्माण, संपोषण, संधारण तथा विकास के उद्देश्य से बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 85 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट एरिगेशन कारपोरेशन, राँची (झालको) का गठन किया गया है। झालको को वाणिज्यिक संस्था के रूप में विकसित किया जाना है ताकि निगम अपना स्थापना भार स्वयं वहन कर सके एवं राज्य की छोटी-छोटी योजनाओं के निर्माण के माध्यम से विकास कार्य में योगदान दे सके। इस निगम के गठन से संबंधित निर्गत संकल्प संख्या 1283 दिनांक 26.04.2005 में यह स्पष्ट किया गया है कि झालको के कर्मियों के वेतन इत्यादि का भार निगम द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। पूर्व में यह परिकल्पना थी कि योजनाओं का कार्यान्वयन JHALCO द्वारा विभागीय रूप से सम्पन्न कराया जायगा तथा प्राक्कलन में समाहित संवेदक लाभांश की राशि JHALCO को आय के रूप में प्राप्त होगी। परन्तु, पारदर्शिता के दृष्टिकोण से विभागीय पत्रांक-03 दिनांक-03.01.2017 द्वारा निर्णय ससूचित किया गया है कि JHALCO द्वारा 7% Centage के आधार पर कार्यों का निष्पादन निविदा के माध्यम से कराया जायगा।
3. इस निगम के गठन से लेकर अबतक इसे कुल रु० 173.29 करोड़ की योजनाओं का कार्यान्वयन ही सौंपा गया है। इस राशि से अधिकतम रु० 16.88 करोड़ की आय ही निगम को बनता है, जबकि निगम के कर्मियों के लिए वेतन भुगतान हेतु औसतन प्रति वर्ष रु० 4.00 करोड़ की

आवश्यकता है। अतः स्पष्ट है कि कार्यान्वयन के लिए इस निगम को सौंपी गई योजनाओं से प्राप्त आय कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है।

4. इस संस्था को कार्यान्वयन हेतु अत्यधिक कार्य इसलिए भी नहीं सौंपी जा सकती क्योंकि संस्था के पास तकनीकी पदाधिकारियों का घोर अभाव है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छोटी-छोटी योजनाओं के कार्यान्वयन का जिम्मा पंचायतों को सौंप दिया जाय। अतः भविष्य में भी अत्यधिक योजनाओं के कार्यान्वयन का जिम्मा इस संस्था को सौंपने की संभावना कम प्रतीत होती है।
5. उपर्युक्त कारणों से निगम अपने कर्मियों को वेतन का भुगतान नियमित रूप से नहीं कर पा रहा है। वेतन का भुगतान नहीं हो पाने के कारण कर्मियों द्वारा अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।
6. वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में विभाग द्वारा झालको को पर्याप्त राशि का कार्य आबंटित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण झालको को यथेष्ट लाभांश नहीं मिल पाया है।
7. वित्तीय वर्ष 2017-18 में झालको को रू० 5.00 करोड़ मात्र अनुदान की राशि विमुक्त की गई थी। जिसमें से रू० 1,99,02,443/- मात्र का व्यय वर्ष 2017-18 में किया गया तथा रू० 3,00,97,557/- मात्र झालको के पास अवशेष है।
8. वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह जनवरी 2019 तक भुगतान हो सकेगा।
9. वित्तीय वर्ष 2018-19 में फरवरी 2019 एवं मार्च 2019 के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2011-12 का बकाया वेतन तथा पंचम वेतन पुनरीक्षण का बकाया वेतन हेतु रू० 609.00 लाख की मांग प्रबंध निदेशक, झालको राँची द्वारा उनके पत्रांक-511 दिनांक-26.09.18 द्वारा की गई है। प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा राशि की अधियाचना निम्नवत् है:-

| क्र० | अवधि                               | निधि की आवश्यकता<br>(लाख रू० में) |
|------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | फरवरी 2019 से मार्च 2019 का वेतन   | 60.00                             |
| 2    | वित्तीय वर्ष 2011-12 का बकाया वेतन | 364.00                            |
| 3    | पंचम वेतन पुनरीक्षण का बकाया वेतन  | 185.00                            |
|      | कुल :-                             | 609.0 लाख                         |

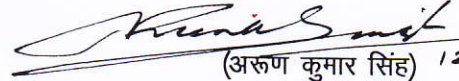
10. उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2018-19 में झालको को रू० 6.09 करोड़ के अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
11. झालको को रू० 6.09 करोड़ की अनुदान की राशि निम्नरूप से भारित करने किया जा सकेगा-  
(क) बजट शीर्ष-मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई-उप मुख्य शीर्ष-01-सतही जल-लघु शीर्ष-102 उत्थान सिंचाई योजना-उपशीर्ष-02-झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको



हेतु वेतन अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-46-सहायता अनुदान सामान्य" अंतर्गत कुल  
रु० 305.00 लाख (रु० तीन करोड़ पांच लाख) मात्र भारित होगा।

- (ख) बजट शीर्ष "मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई-उप मुख्यशीर्ष-01-सतही जल-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-02-झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति, एवं झालको हेतु वेतन अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-46-सहायता अनुदान सामान्य" अंतर्गत कुल  
रु० 304.00 लाख (रु० तीन करोड़ चार लाख) मात्र भारित होगा।
12. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदधिकारी प्रबंध निदेशक, झालको होंगे।
  13. राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
  14. प्रबंध निदेशक, झालको इस कार्य हेतु आवंटित राशि को पी.एल. खाता में जमा करेंगे।
  15. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
  16. झारखंड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
  17. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दि०-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन की जायेगी।
  18. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
  19. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
  20. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
(अरुण कुमार सिंह) 12.2.19

सरकार के अपर मुख्य सचिव,

पत्रांक: 3 पी.एम.सी./प्रशासनिक-37/12-13/...../राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार /आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव,

पत्रांक: 3 पी.एम.सी./प्रशासनिक-37/12-13/...../राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, राँची, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव,

पत्रांक: 3 पी.एम.सी./प्रशासनिक-37/12-13/71/18-19-9-69/राँची, दिनांक: 14/02/2019

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/प्रबंध निदेशक, झालको, राँची /मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

  
(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव,

पत्रांक: 3 पी.एम.सी./प्रशासनिक-37/12-13/...../राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग/आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा/आयुक्त, पलामू प्रमंडल/आयुक्त, संथाल परगना, दुमका प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव,

पत्रांक: 3 पी.एम.सी./प्रशासनिक-37/12-13/...../राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव,

पत्रांक: 3 पी.एम.सी./प्रशासनिक-37/12-13/...../राँची, दिनांक:.....

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव,